18/5/20

पत्रावली आज प्राप्त आवेदन एवं वैध आदेश के पेश हुई श्री खजान लाल लिखित पत्र पर एक न्यायालय में दिनांक 27/06/2010 को निर्णित ले चुका है लिखकी अपील वादिक द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उठ चुकी है एवं श्री खजान लाल लिखित पत्र आगे अग्रिम न्यायालय में चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः पत्रावली को पर स्थायी किया जाता है। पत्रावली कैफियत शुमार रेकर्ड दायिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner